पत्रांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–04/2015 (पार्ट–1)......349

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक...9/03/., 2015

विषय – मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–10.02.2015, 18.02.2015 (मद सं० 25 को छोड़कर) एवं 19.02.2015 को 'अन्यान्य' के रूप में लिये गये निर्णय को बातिल (Annul) करने एवं आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव उपस्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–04.03.2015 में मद सं०–01 के रूप में निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई :–

"मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–10.02.15, 18.02.15 (मद संख्या–25 को छोड़कर) एवं 19.02.2015 को 'अन्यान्य' के रूप में लिये गये निर्णयों को बातिल (Annul) समझा जाय। अगर विषय से संबंधित विभाग आवश्यक समझे तो विहित प्रक्रिया अपना कर यथोचित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ लाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

पूर्व में विषयान्तर्गत 'अन्यान्य' मद में लिये गये निर्णयों की सूची संलग्न की जाती है।

2. यदि उपर्युक्त विवरण अनुसार कोई विषय आपके विभाग से संबंधित है तो आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया अपना कर यथोचित प्रस्ताव लाने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

09/03/15

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–04/2015(पार्ट–1)...349...पटना–15, दिनांक..9/03/ 2015

प्रतिलिपि – मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सदस्य, राजस्व पर्षद/प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/15

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

D:\Cab I Systems\old file\Srikant.doc

अन्यान्य निर्णय   अनुलग्नक-I

क्र० सं०	मंत्रिपरिषद् की बैठक की तिथि	मद संख्या / निर्णय	विभाग का नाम	विषय
1	2	3	4	5
				दिनांक 10.02.2015
1	10.02.2015	23	सामान्य प्रशासन विभाग	आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण देने के बिन्दु पर विशेषज्ञों की एक त्रि–सदस्यीय समिति का गठन।
				दिनांक 18.02.2015
2	18.02.2015	10	अन्यान्य गृह विभाग	एक वित्तीय वर्ष में पुलिस निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों को 12 महीने के वेतन के स्थान पर 13 महीने के वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया।
3	18.02.2015	11	अन्यान्य गृह विभाग	गृह रक्षकों का मानदेय 300 रूपये से बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिदिन, यात्रा भत्ता 20 से बढ़ाकर 50 रूपये करने एवं 20 साल की लगातार सेवा पूर्ण करने वाले गृह रक्षकों के सेवा के उपरान्त 1 लाख 50 हजार रूपये मानदेय तथा कार्यरत रहने की अवधि 58 वर्ष से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 50 वर्ष की आयु पर उनकी शारीरिक दक्षता **(Physical Fitness)** जाँच की व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
4	18.02.2015	12	अन्यान्य गृह विभाग	वैशाली जिले के नगमा पटेरी गाँव में गुलजार फार्म के नजदीक एक ओ०पी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
5	18.02.2015	13	अन्यान्य शिक्षा विभाग	विभिन्न पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों के उच्च विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिनियम में यथोचित संशोधन एवं आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
6	18.02.2015	14	अन्यान्य शिक्षा विभाग	मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया को 1000 रूपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय देने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
7	18.02.2015	15	अन्यान्य शिक्षा विभाग	पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से वेतनमान निर्धारण के विषय पर अग्रेतर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।
8	18.02.2015	16	अन्यान्य शिक्षा विभाग	विद्यालयों में ललित कला एवं संगीत शिक्षकों के पद सृजन का निर्णय लिया गया।
9	18.02.2015	17	अन्यान्य कृषि विभाग	किसान सलाहकारों का मानदेय प्रति माह 7 हजार रूपये करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
10	18.02.2015	18	अन्यान्य कृषि विभाग	स्वामी सहजानंद सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। (दिनांक–19.02.2015 मद संख्या–23 के निर्णय द्वारा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित करने का निर्णय।)
11	18.02.2015	19	अन्यान्य योजना एवं विकास विभाग	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधान मंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य कराने हेतु प्रति वर्ष 2 करोड़ के स्थान पर अगले वित्तीय वर्ष से 3 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य निर्णय

अनुलग्नक

क्र० सं०	मंत्रिपरिषद् की बैठक की तिथि	मद संख्या/ निर्णय	विभाग का नाम	विषय
1	2	3	4	5
12	18.02.2015	20	अन्यान्य पंचायती राज विभाग	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के सभी राजस्व ग्रामों (लगभग 46 हजार) में एक–एक स्वच्छता कर्मी की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिन्हें 5 हजार रूपये प्रति माह मानदेय देय होगा।
13	18.02.2015	21	अन्यान्य सामान्य प्रशासन विभाग	सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत पदों का आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए करने का निर्णय लिया गया (राजपत्रित पदों को छोड़कर)।
14	18.02.2015	22	अन्यान्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सुन्नी वक्फ बोर्ड का सहायक अनुदान 1.5 करोड़ रूपये प्रति वर्ष, शिया वक्फ बोर्ड का सहायक अनुदान 80 लाख एवं हज कमिटि का सहायक अनुदान 75 लाख प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
15	18.02.2015	23	अन्यान्य सूचना प्रावैधिकी विभाग	मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया गया।
16	18.02.2015	24	अन्यान्य ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संविदा आधारित वर्ष 2007 में नियुक्त किये गये कर्मियों को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सृजित होने वाले लेखा सहायक के पदों पर नियुक्ति में अनुभव के आधार पर अधिमानता देने का निर्णय लिया गया।
17	18.02.2015	25	अन्यान्य विधि विभाग	श्री रामबालक महतो, महाधिवक्ता, बिहार को पदमुक्त करने तथा उनके स्थान पर श्री बिनोद कुमार कंठ, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को नये महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
18	18.02.2015	26	अन्यान्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान, की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिय गया। (दिनांक–19.02.2015 मद संख्या–23 के निर्णय द्वारा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित करने का निर्णय।)
19	18.02.2015	27	अन्यान्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय)	उर्दू निदेशालय अन्तर्गत क्षेत्रिय कायालयों में रिक्त पदों को भरने तथा आवश्यक पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
20	18.02.2015	28	अन्यान्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला जो दिनांक–28.02.2015 को सेवानिवृत्त होने वाले है की सेवा संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
				दिनांक 19.02.2015
21	19.02.2015	9	अन्यान्य गृह विभाग	मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर शहर में एक ट्राफिक थाना सृजन करने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।
22	19.02.2015	10	अन्यान्य योजना एवं विकास विभाग	सांख्यिकी स्वयं सेवकों की समस्या के अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

अन्यान्य निर्णय (22) अनुलग्नक-1

क्र० सं०	मंत्रिपरिषद् की बैठक की तिथि	मद संख्या / निर्णय	विभाग का नाम	विषय
1	2	3	4	5
23	19.02.2015	11	अन्यान्य योजना एवं विकास विभाग	बिहार में युवा नीति (Youth Policy) बनाने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।
24	19.02.2015	12	अन्यान्य ग्रामीण विकास विभाग	विकास मित्र एवं टोला सेवकों का 25 वर्ष तक सेवा लेने का निर्णय लिया गया।
25	19.02.2015	13	अन्यान्य पर्यटन विभाग	मधुबनी में सौराठ मेला को राजकीय मेला के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया।
26	19.02.2015	14	अन्यान्य पथ निर्माण विभाग	25 लाख तक के संविदा (Contract) के कार्यों में पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महिला निविदादाताओं को आरक्षण का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।
27	19.02.2015	15	अन्यान्य सामान्य प्रशासन विभाग	बिहार राज्य के तर्ज पर ई०बी०सी० एवं ओ०बी०सी को केन्द्रीय सेवा में आरक्षण का लाभ देने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
28	19.02.2015	16	अन्यान्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सभी सरकारी महाविद्यालय, जहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, आवश्यकतानुसार उर्दू शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया गया।
29	19.02.2015	17	अन्यान्य गृह विभाग	सीतामढ़ी जिला के सुरसण्ड थाना अन्तर्गत कुम्मा में एक ओ०पी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
30	19.02.2015	18	अन्यान्य पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण विभाग	अति पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम की स्थापना के संबंध में सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।
31	19.02.2015	19	अन्यान्य अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	सफाई मजदूरों के कल्याण के लिए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
32	19.02.2015	20	अन्यान्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	प्रखण्ड पुर्नगठन संबंधी मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा के आधार पर नये प्रखण्डों के सृजन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई।
33	19.02.2015	21	अन्यान्य गृह विभाग	दिनांक–18.02.2015 के मद संख्या–12 को संशोधित करते हुए वैशाली जिला के ग्राम–नगमा, प्रखण्ड–पटेढ़ी बेलसर में गुलजार फार्म के नजदीक एक ओ०पी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
34	19.02.2015	22	अन्यान्य ग्रामीण विकास विभाग	दिनांक–18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 24 का संशोधित कर लेखा सहायक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर के साथ–साथ कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक के नियुक्ति होने पर भी अधिमानता देने का निर्णय लिया गया।
35	19.02.2015	23	अन्यान्य शिक्षा विभाग	दिनांक–18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 18 एवं 26 को संशोधित करते हुए सहजानन्द सरस्वती तथा कपूरी ठाकुर शोध संस्थान एवं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।